सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
वैशाख 24, गुरूवार, शाके 1942- मई 14, 2020	
Vaisakha 24, Thursday , Saka 1942- May 14, 2020	

भाग 4(ख)

राज्यपाल, राजस्थान के अध्यादेश।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, मई 14, 2020

संख्या प.4(4)विधि/2/2020.- राजस्थान राज्य के राज्यपाल द्वारा दिनांक 13 मई, 2020 को बनाया तथा प्रख्यापित किया गया निम्नांकित अध्यादेश सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता हैः-

राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) अध्यादेश, 2020

(2020 का अध्यादेश संख्यांक 4)

(राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 13 मई, 2020 को बनाया तथा प्रख्यापित किया गया)

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 को और संशोधित करने के लिए अध्यादेश।

यतः राजस्थान राज्य विधान सभा सत्र में नहीं है और राजस्थान राज्य के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है;

अतः अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में इसके द्वारा निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अध्यादेश का नाम राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) अध्यादेश, 2020 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 3-ख का संशोधन.- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की विद्यमान धारा 3-ख के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"3-ख. गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन के लिए और प्राकृतिक या मानव-निर्मित आपदाओं के शमन के लिए अधिभार.- (1) अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 के अधीन शुल्क से प्रभार्य समस्त लिखतें ऐसी दर पर अधिभार से प्रभार्य होंगी, जो इस अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 के अधीन ऐसी लिखतों पर प्रभार्य शुल्क के बीस प्रतिशत से अधिक न हो, जो राज्य सरकार द्वारा गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन के प्रयोजन के लिए या सूखा, बाढ़, महामारी, लोक स्वास्थ्य अत्यावश्यकताओं, अग्नि इत्यादि जैसी प्राकृतिक या मानव-निर्मित आपदाओं के शमन के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित की जाये।

(2) उप-धारा (1) के अधीन प्रभार्य अधिभार धारा 3 के अधीन प्रभार्य किसी शुल्क और धारा 3-क के अधीन प्रभार्य किसी अधिभार के अतिरिक्त होगा।

(3) उप-धारा (1) में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, उप-धारा (1) के अधीन प्रभार्य अधिभार के संबंध में इस अधिनियम के उपबंध, जहां तक हो सके, वैसे ही लागू होंगे जैसे कि वे धारा 3 के अधीन प्रभार्य शुल्क के संबंध में लागू होते हैं।

(4) उप-धारा (3) में यथा उपबंधित के सिवाय, राज्य सरकार इस धारा के अधीन उद्ग्रहणीय अधिभार के संग्रहण के लिए, और उस व्यक्ति के, जिसके माध्यम से अधिभार संगृहीत किया जाता है, कर्तव्यों और पारिश्रमिक को विनियमित करने के लिए, नियम बना सकेगी।

(5) इस धारा के अधीन संगृहीत अधिभार का उपयोग गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन के प्रयोजन के लिए, या सूखा, बाढ़, महामारी, लोक स्वास्थ्य अत्यावश्यकताओं, अग्नि इत्यादि जैसी प्राकृतिक या मानव-निर्मित आपदाओं के शमन के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।"।

कलराज मिश्र,
राज्यपाल, राजस्थान।

विनोद कुमार भारवानी,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT

(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, May 14, 2020

No. F.4(4)Vidhi/2/2020.- In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Stamp (Sanshodhan) Adhyadesh, 2020 (2020 Ka Adhyadesh Sankhyank 4) promulgated by him on the 13th day of May, 2020:-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN STAMP (AMENDMENT) ORDINANCE, 2020

(Ordinance No. 4 of 2020)

(Made and promulgated by the Governor on the 13th day of May, 2020)

An

Ordinance

further to amend the Rajasthan Stamp Act, 1998.

Whereas, the Rajasthan State Legislative Assembly is not in session and the Governor of the State of Rajasthan is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, the Governor in exercise of the powers conferred on him by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, hereby promulgates in the Seventy-first Year of the Republic of India, the following Ordinance, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) This Ordinance may be called the Rajasthan Stamp (Amendment) Ordinance, 2020.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 3-B, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- For the existing section 3-B of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the following shall be substituted, namely:-

"**3-B. Surcharge for conservation and propagation of cow and its progeny and for mitigating natural or man-made calamities.-** (1) All instruments chargeable with duty under section 3 read with schedule to the Act, shall be chargeable with surcharge at such rate not exceeding 20 percent of the duty chargeable on such instruments under section 3 read with Schedule to the Act, as may be notified by the State Government, for the purpose of conservation and propagation of cow and its progeny, or for the purpose of mitigating natural or man-made calamities like drought, flood, epidemic, public health exigencies, fire etc.

(2) The surcharge chargeable under sub-section (1) shall be in addition to any duty chargeable under section 3 and any surcharge chargeable under section 3-A.

(3) Except as otherwise provided in sub-section (1), provisions of this Act shall, so far as may be, apply in relation to the surcharge, chargeable under sub-section (1) as they apply in relation to the duty chargeable under section 3.

(4) Save as provided in sub-section (3), the State Government may make rules for collection of surcharge leviable under this section and for regulating the duties and remuneration of the person through whom surcharge is collected.

(5) The surcharge collected under this section shall be utilized for the purpose of conservation and propagation of cow and its progeny, or for the purposes of mitigating natural or man-made calamities like drought, flood, epidemic, public health exigencies, fire, etc.".

कलराज मिश्र,
Governor of Rajasthan.

विनोद कुमार भारवानी,
Principal Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.